



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 18 अप्रैल, 2024 / 29 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
(Rules of Business to fill-up all the Posts by direct Recruitment) Regulations, 2024

NOTIFICATION

Shimla-4, the 12th April, 2024

No.VS/Estt./Regulations(Rectt.)/6-03/2024.—In exercise of the powers conferred under Rule-27 of the "Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat

(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974" which were framed by the Governor Himachal Pradesh under Article-187(3) of the Constitution of India and Notified in the official gazette, the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following regulations:

1. SHORT TITLE.—These regulations shall be called the "**Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat(Rules of Business to fill-up all the Posts by direct Recruitment) Regulations, 2024.**"

2. COMMENCEMENT AND APPLICATION.—These regulations shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

3. DEFINITIONS.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "**Speaker**" means the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha;
- (b) "**Secretariat**" means the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Secretariat;
- (c) "**Government**" means the State Government of Himachal Pradesh;
- (d) "**Posts**" means the Group-A/Class-I, Group-B/Class-II, Group-C/Class-III, Group-D/Class-IV posts of H.P. Vidhan Sabha and approved by the Appointing Authority for making appointment;
- (e) "**Appointing Authority**" means Speaker, H.P. Vidhan Sabha;
- (f) "**Selection Committee**" means the Committee constituted for selection to all posts except post of Secretary, H.P. Vidhan Sabha by direct recruitment;
- (g) "**Controller of Examinations**" means the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha;
"**Secretary**" means the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha;
- (h) "**Joint Secretary, Deputy Secretary & Under Secretary**" means the Joint Secretary, Deputy Secretary & Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha; and
- (i) "**Application Forms**" means the Online Recruitment Application Forms.

4. REQUISITION.— The Requisition to fill-up all the posts by direct recruitment shall be prepared by the Establishment Branch on the basis of vacancies of different posts after verifying the record available in the Secretariat.

5. ADVERTISEMENT.—In the case of filling-up of posts by direct recruitment, these shall be advertised giving full information as per R&P Rules, Qualification, Age limit and other relevant information for inviting Online Recruitment Applications on official website of H.P. Vidhan Sabha and published in two daily news papers, one each in national newspaper and hindi vernacular, which have wide circulation in Himachal Pradesh alongwith a copy of advertisement in the "**Giri Raj**" of Himachal Pradesh Government. The copy of advertisement shall be displayed on the "**Notice Board**" of Himachal Pradesh Vidhan Sabha as well.

6. TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF ONLINE RECRUITMENT APPLICATIONS—

- 6.1 Where applications are being invited through advertisement, atleast 30 days time will be given for submission for Application Forms including difficult areas of H.P. like Pangi, Kinnaur, Lahaul & Spiti and Dodra Kawar. If the last date fixed for receipt of Applications happens to be a holiday, then the Applications shall be received on the next working day. In special circumstances, for reasons to be recorded, the Secretariat may extend the date fixed for inviting Applications.
- 6.2 If a need arises as to change the Online Recruitment Application Form in a particular case(s) as per requirement, the same will be decided by the Secretariat. While submitting the Online Recruitment Application Forms, the candidates must read instructions carefully, which are available on website of the H.P. Vidhan Sabha Secretariat.
- 6.3 The minimum age limit for direct recruitment shall be as provided in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 which will be reckoned as on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications.
- 6.4 The Online Recruitment Application Forms shall be submitted by the applicant through official website of Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

7. RESERVATION, RELAXATION & ROSTER IN RESPECT OF ALL THE CATEGORIES.—As per Rules, Notifications and Instructions issued by the H.P. State Government from time to time.

8. REFUND OF EXAMINATION FEE—

- 8.1 No fee will be returned to the candidates whose Applications have been received after the expiry of last date fixed or who have submitted wrongly filled or incomplete Applications or submitted Applications for the post not advertised by the H.P. Vidhan Sabha Secretariat.
- 8.2 Due to cancellation of examinations by any unavoidable circumstances or administrative grounds the fee will be refundable as per the order of the Speaker.

9. SCRUTINY OF ONLINE RECRUITMENT APPLICATIONS(ORAs) AS PER ELIGIBILITY CRITERIA—

- 9.1 The scrutiny of all the Online Recruitment Application(s) shall be done on the basis of instructions prescribed in the advertisement with no deviation.
- 9.2 The Application of the candidate who has not filled in the Application properly, left the columns blank, has not signed the declaration at the end of the Application Form, has not sent the requisite fee and has not mentioned the essential requirements such as educational/technical/professional qualification, has not affixed the attested copies of the photographs or whose Application has been received after the last date fixed for receipt of the Application Forms or does not fulfill the added requirements, the Application Form shall be rejected. As regards category and sub-category of the candidate regarding reservation, the candidate is

to indicate his category and sub-category in the appropriate columns of the Application Form but if he fails to do so he will be treated as a General category candidate provided the requisite fee as to General category has been paid, otherwise his application shall be rejected for want of full fee.

- 9.3. The scrutiny of the applications to determine the eligibility or otherwise of the applicant to participate in the selection process shall be undertaken by the Committee constituted for this purpose as per check list and where the application is to be rejected reasons in brief may be recorded and the applicant be intimated about the same.
- 9.4 The applications having shortcomings shall be put up to the Secretary, H.P. Vidhan Sabha for rejection.
- 9.5 All the eligible candidates shall be admitted provisionally for further selection process.
- 9.6 The e-Admission certificate(s) will be sent by SMS alert and provisionally admitted candidates will have to download their respective e-Admission Certificate/Admit Card alongwith instructions for the concerned post(s) from the official website of H.P. Vidhan Sabha.
- 9.7 In view of the large number of requests in the case of rejected application forms for seeing the application form by the candidate, the candidate will be required to apply on a prescribed pro-forma along with a fee as fixed by the Secretariat from time to time then his application form will be taken out and a photocopy will also be made available to the candidate against receipt for his information showing why it has been rejected. No interim correspondence about the application shall be entertained nor the applications of candidate who has sent any other document, photo/drafts etc., after the receipt of the application form will be entertained.
- 9.8 Intimation regarding interview/verification of Original documents etc. shall be sent to the candidate through SMS alerts/e-mail and the Secretariat shall not be liable for any delay in transit or non-receipt of SMS alerts/e-mail.
- 9.9 After the applications have been scrutinized, the Secretariat shall take a decision regarding the mode of selection *i.e.* whether to hold a written test or a written test preceded by a screening test. If the Selection Process comprises Written Test, the same may be clearly indicated in the Advertisement. However, the maximum marks of the interview shall not exceed 15% of the total marks. Where a type and shorthand test is an essential qualification, the candidates will be required to undergo these tests for the prescribed speed. Where a driving test is prescribed/required, the candidate will be required to undergo the required test as per standards laid down. The Secretariat shall not be liable for any injury or damage sustained by the candidate while going through such tests.
- 9.10 Generally, no interim correspondence or request for change of date or venue of screening test, subjective test, driving test, type and shorthand test or date of interview/verification of original documents shall be entertained. But in exceptional circumstances, the Secretariat may entertain their requests on case to case basis subject to order of the Speaker.

10. SYLLABUS FOR EXAMINATION(S).—The level of examination and syllabus for a post for which a minimum educational qualification has been prescribed shall be the same as far as that of the equivalent examination of Himachal Pradesh Board of School Education, Himachal Pradesh Board of Technical Education or the concerned Universities in Himachal Pradesh. For example, if for a post minimum educational qualification is matriculation, then the level of examination and syllabus shall be that of Matriculation examination of Himachal Pradesh Board of School Education. In addition questions of General Knowledge, Current Affairs, Everyday Science, General Awareness, and Logic and about Himachal Pradesh may also be put of the equivalent level. The decision of the Secretariat regarding nature and scope of question paper will be mentioned in the advertisement for information of the candidates.

11. CONDUCT OF EXAMINATION—

- 11.1 If it is decided that a screening test or a written test is to be held then the examination centers will be selected keeping in view the number of candidates and their location, seating capacity, approach, suitability, furniture, staff, electricity, water and other relevant factors.
- 11.2 Keeping in view the resources of the Office, secrecy, feasibility and other relevant factors the centers for written tests may be kept on the basis of number of candidates.
- 11.3 Once the date of examination and venue has been decided and if the number of candidates is more than 500, then the respective District Magistrate/Sub-Divisional Magistrate will be requested to make arrangement for maintaining Law and Order in and around the examination centers.
- 11.4 The facility of scribe/reader shall be allowed to any person having disability of 40% or more if so desired by the person having a Disability Certificate issued by the Standing Medical Board or Medical Board constituted by the any Government.
- 11.5 The compensatory time shall not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are making use of Scribe/Reader. All the candidates with disability not availing the facility of Scribe/Reader shall be allowed additional time of minimum of one hour for examination of three hours duration which could further be increased on case to case basis.
- 11.6 The Secretary of the Secretariat shall maintain a panel of suitable and qualified persons for getting the paper(s) set and evaluation thereof. The names may be added or deleted from time to time.
- 11.7 The paper setter may be asked to set one or more than one set of question papers in the case of objective/multiple choice questions and descriptive type of papers. The Secretary may also mix two or three papers. As far as possible and as the circumstances may allow, the Paper Setter may be intimated the essential qualification and syllabus and will not be intimated the post for which the paper is being set and the request to the paper setter may be on phone or in person, to keep the secrecy.
- 11.8 The question papers will be got printed by the Secretary and secrecy, accuracy and quality of the printing will be ensured.

- 11.9 The Secretary of the Secretariat will be Controller of examinations and he will appoint and lay down the duties of the Centre Superintendents, Deputy Centre Superintendents, Invigilators, Clerks and Class-IV and they shall be paid remuneration at the rates approved by the Secretariat from time to time.
- 11.10 Question papers and other material shall be handed over to the Centre Superintendent against receipt a day before or as convenient by authorized official of the Secretariat and then the Centre Superintendent shall be responsible for its safe custody and ensuring secrecy.
- 11.11 The Centre Superintendent shall make seating plan which may be pasted on the notice board of the institution and copy of seating plan shall also be pasted on the entrance of each examination room. A notice shall also be displayed about centre and date of examination and pasted near the gate of the Institution in bold letters.
- 11.12 The examination may start normally at 09.00 A.M. for the morning shift & at 3.00 P.M. for the evening shift. The candidates will be expected to reach examination halls/rooms at least 15 minutes before the commencement of the test along with e-admission certificate/admit card. In case a candidate has not received the admit card then on production of receipt of the application issued by the Secretariat, he may be admitted provisionally upon giving or producing a recent attested photograph which will be pasted on the undertaking to be produced by the candidate and attested by the Centre Superintendent provided his name does not figure in the list of applicants whose Application Forms have been rejected which will later on be put up with Application and his answer sheets shall be marked separately. The candidates shall be allowed to bring with them card board, pen, ball pen, pencil, inkpot and foot rule and no other material such as hand bag, books, magazines, mobile phone, calculator or slide rule etc. shall be allowed in examination halls/rooms. The candidates shall observe restraint, discipline and silence. If any candidate has to ask for anything, he shall raise his hand and the staff on duty will attend to him. **No candidate shall be admitted 15 minutes after the start of examination/test and no candidate shall be allowed to leave the examination hall/room before the half of the stipulated time is over in case of subjective type of question papers. However, in the case of objective type question & descriptive type papers the candidates will not be allowed to leave the examination hall till the stipulated time is over.**
- 11.13 In case any candidate is found to be indulging in or using “Un-Fair Means” in any manner, he shall be warned by the Centre Superintendent/staff on duty and if he still persists, then the staff on duty shall mark his/her answer sheet in red ink with the word “U.F.M.” and sign the same which will be countersigned by the Centre Superintendent and the sheet will be taken, separately packed and accounted for and the candidate will be sent out of the examination hall/room and a report will be sent to the Secretariat by the Centre Superintendent.
- 11.14 In case of extreme rowdyism within or outside the Centre or the use of “Un-Fair Means” on a large scale, the Centre Superintendent shall make a reference to the Secretariat which after satisfying itself may cancel the test as a whole or for a particular centre and hold the test afresh. If reports of large scale use of unfair means at any centre are received and the same are found to have substance then the Secretariat may for reasons to be recorded, cancel the examination and order afresh test/examination.

- 11.15 The e-certificates/Admit Cards shall be collected from the candidates after obtaining their signatures on the attendance sheet as well as on the Admit Card. The number of answer sheets/question-cum-answer booklets issued shall also be entered and the answer sheets/question-cum-answer booklets shall be stamped with one of the stamps to be used on that date out of the stamps supplied by the Secretariat. The particular stamp to be used will be the one whose impression will be supplied in a separate sealed cover.
- 11.16 No one except the staff on duty or the Secretariat's official with identity card shall be allowed to enter the examination hall/room.
- 11.17 At the end of the examination/test, the Centre Superintendent shall arrange to collect the answer sheets/question-cum-answer booklets, pack them and arrange them Roll number-wise, collect the Admit Cards and other items, seal and sign the same and hand them over to the official of the Secretariat alongwith unused question papers and list of the provisional candidates. He shall also render the account of money advanced, disbursed and all other material given and forms given duly filled up.
- 11.18 After the receipt of answer sheets/question-cum-answer booklets and other material, it shall be entered in the appropriate register, kept in the appropriate safe place in the Secretariat's office till their evaluation and final disposal.

12. EVALUATION—

- 12.1 The Secretariat will devise and prescribe a mechanism/system for the evaluation of answer sheets/question-cum-answer booklets and it shall be the responsibility of the Secretary to implement it.
- 12.2 In all the subjective type answer sheets fictitious Roll Nos. will be given.
- 12.3 In case of Multiple Choice Question paper, only the detached answer/OMR sheets will be given for evaluation.
- 12.4 On the basis of evaluation of answer/OMR sheets/question-cum-answer booklets a merit list shall be prepared and in case of different reserved categories, the category-wise merit list shall be prepared. **The candidates to be eligible and in the consideration zone, must secure at-least 50% marks in the written/screening test.**
- 12.5 After the test, the result shall be declared as soon as possible depending upon the circumstances. The Secretariat shall decide whether after an objective type screening test, a subjective/descriptive type of test is to be held or not and the number of candidates to be called for the subjective/descriptive test or the Secretariat may decide to hold the verification of original documents or interview after the objective type screening test.

13. INTERVIEW/VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS—

- 13.1 After the receipt of merit list, the Secretariat may decide to hold the interview/verification of original documents and the venue and the number of the candidates to be called for interview per post. Generally it shall be 3 to 5 times the

number of posts. The candidate shall present himself on the date, time and place fixed for the interview/verification of original documents. He shall also bring alongwith him on the said date and time, the original as well as one attested copy each of the following:—

- (i) Original Matriculation certificate showing date of birth and attested copy thereof.
 - (ii) Certificate(s)/Diploma/Degree/Testimonials showing his educational and professional qualification alongwith one attested copy of each.
 - (iii) Certificate issued by the competent authority along with one attested copy showing the category against which reservation has been claimed as per the category mentioned in the Application Form, if any.
 - (iv) Two recent passport size attested photographs.
 - (v) Document showing his having been registered with any of Employment/Sub-Employment Exchanges in Himachal Pradesh alongwith an attested copy.
- 13.2 The original certificates after having been seen will be returned to the candidate while the attested copies will be attached with the Application Form. The Secretariat's official shall compare the original certificates alongwith the qualification mentioned in the Application Form and shall enter the Roll Nos., name and experience etc; in the Interview Sheet and this shall be signed by him. The interview sheet alongwith copies of testimonials etc; shall be attached with the Application Form. In the case of provisional admission, the undertaking shall also be attached and shall be presented before the Secretariat. Departmental representative and Expert, if needed, shall also be requested to be present that may be intimated in writing or on phone to maintain secrecy.
- 13.3 The Member of the Selection Committee shall ordinarily preside over the Committee set up for the selection of candidates through either of the methods described above and shall act as the Chairman of the Committee except in cases where the Chairman of the Committee himself sits alongwith the Member.
- 13.4 The Selection Committee shall be assisted by the experts and departmental representative. The marks to the candidates in the interview/viva-voce shall be recorded by the Chairman in ink after consulting all the members of the respective interview Board and in token there of all members of the Selection Committee will put their signatures on the interview sheet (in ink/ball point pen). An honorarium shall be paid to the experts assisting the Selection Committee as per rate approved by the Secretariat from time to time.
- 13.5 At the end of the Personality Test/Interview of each candidate the Chairman and Members of the Selection Committee will discuss his/her overall performance and grade him/her in five categories viz. Outstanding, Very Good, Good, Average, below Average. The marks to be awarded to the candidate(s) on the basis of his/her performance before the Selection Committee shall be recorded in words and figures by the Chairman of the Committee in ink as per the consensus / average reached by the Selection Committee participating in the Personality Test/Interview shall put their signatures on each page of the Personality Test/Interview Sheet.

-
- 13.6 The deliberations of the Secretariat at the Personality Test/Interview of candidates including award of marks to the candidates shall be kept secret and this rule shall be binding on Expert(s) who are present at the Personality Test/Interview.
- 13.7 The Personality Test/Interview Form and Personality Test/Interview Sheet(s) duly signed by all the Members comprising the Selection Committee shall be sealed daily immediately after the conclusion of day's proceedings and shall be handed over to the Secretary to be kept in the safe custody to be acted upon and used as and when required. The Chairman and Members of the Committee shall not retain or maintain any record whatsoever thereof with him/her. Further processing of the results shall be done by the Secretary.
- 13.8 The recommendations of the Selection Committee (including viva-voce) shall be placed before the Speaker for approval before communicated to the Appointing Authority.
- 13.9 While preparing the final result a category-wise waiting list (Panel) shall be prepared. The candidates placed in the waiting list/panel shall have no right to be appointed except when a selected/recommended candidate does not join and the waiting list is still in operation.
- 13.10 While declaring the final result category-wise total marks obtained by selected candidates will also be shown.
- 13.11 The recommendations of the Selection Committee will be valid till the appointments are offered to the candidates by the Appointing Authority or for a period of one year from the date of recommendations which-ever are earliest.
- 13.12 The Secretariat shall prescribe the documents and material to be kept in the strong room and the procedure for operating it. However it will be in double lock and one key of the strong room will be with the Secretary and the other one will be with the Joint/Deputy/Under Secretary. However, in exceptional circumstances or in case of non-availability of either of the officers, the Secretary may authorize the Section Officer to operate it by observing the double lock procedure.

14. Recommendations/Declaration of Final Result/Merit List.— Except where procedure has been specifically prescribed in relevant Recruitment and Promotion Rules, marks obtained by the candidates in the main examination (written part as well as Personality Test) would determine their final ranking. In the event of a tie, order of merit shall be determined in accordance with highest marks secured in the Personality Test and in case the marks in the Personality Test of the candidates are also equal, then the candidate securing more marks in Paper-I will be placed above the candidate securing less marks in the same. In case the marks of Paper-I are also equal, then the candidate who is older in age will be placed above the candidate younger in age. In case the age is also same then the candidate having more marks in the essential qualification examination will be placed above the candidate having less marks.

15. ADDITIONS AND ALTERATIONS IN THE REGULATIONS.—From time to time, additions and alterations in these regulations, shall be carried out with the prior approval of the Speaker.

16. REPEAL.—Any procedure issued earlier in respect of filling-up of Group-A/Class-I, Group-B/Class-II, Group-C/Class-III, Group-D/Class-IV Posts by Direct Recruitment shall be deemed to have been repealed immediately after these regulations come into force.

By order,

*Speaker,
H.P. Vidhan Sabha.*

In the Court of Aprajita Chandel, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Banita Kumari d/o Sh. Amin Chand, r/o Village Phaphan, P. O. Saned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Vivek Kumar s/o Sh. Surinder Parmar, r/o Village Jamnoti, P. O. Booni, Sub-Tehsil Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Banita Kumari d/o Sh. Amin Chand, r/o Village Phaphan, P. O. Saned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) & Vivek Kumar s/o Sh. Surinder Parmar, r/o Village Jamnoti, P. O. Booni, Sub-Tehsil Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-03-2024 at Maa Bagla Mukhi Sankat Mochan Mandir, Budana (Kangoo) and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 19-04-2024 at 10.00 A.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 15-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(APRAJITA CHANDEL, HPAS),
*Sub Divisional Magistrate,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

1. Parveen Thakur s/o Sh. Raghbir Singh, r/o V.P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Priyanka Kumari d/o Sh. Jagdish Chand, r/o H. No. 142, W. No. 3, Partap Nagar, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Parveen and Smt. Priyanka Kumari have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony was preformed between them on 17-01-2022 at Jai Maa Chintpurni Mandir, Ajit Nagar Kapurthla (Pb.) as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this Marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this on or before 20-04-2024. In case no objection is received by 20-04-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-03-2024.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Divisional Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हिं0प्र0)

श्रीमती सावित्री देवी पुत्री नेगी राम पुत्र गोकल, निवासी टीका पुरली, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हिं0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्रीमती सावित्री देवी पुत्री नेगी राम पुत्र गोकल, निवासी टीका पुरली, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हिं0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में सावित्री देवी दर्ज है जो की सही है। परन्तु पटवार वृत्त उटपुर, मोहाल पुरली के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम कोका देवी दर्ज है जोकी गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 20–04–2024 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पुरली में कोका देवी उर्फ सावित्रि देवी पुत्री नेगी पुत्र गोकल इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)**

श्रीमती गुरदेवी पुत्री नेगी राम पुत्र गोकल, निवासी टीका पुरली, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्रीमती गुरदेवी पुत्री नेगी राम पुत्र गोकल, निवासी टीका पुरली, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में गुरदेवी दर्ज है जो की सही है। परन्तु पटवार वृत्त उटपुर, मोहाल पुरली के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम प्रभी देवी दर्ज है जोकी गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 20–04–2024 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख पुरली में प्रभी देवी उर्फ गुरदेवी पुत्री नेगी पुत्र गोकल इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

In the Court of Aprajita Chandel, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Sanam Bharti s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Jhagrial, P. O. Bara, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Aarti d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Dadwal, P. O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
.. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for intended of marriage.

Sanam Bharti & Aarti have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits & supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this marriage may file his objections personally or in writing before this court on or before 22-04-2024 at 2.00 P.M. it will in case no received by 22-04-2024 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-03-2024.

Seal.

Sd/-
(APRAJITA CHANDEL, HPAS),
*Sub Divisional Magistrate,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा नं० :

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 18-04-2024

राजिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम.—1. राजिन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा० धोरन खास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

उपरोक्त मुकदमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी की जन्म तिथि व पुत्री का नाम व जन्म तिथि Naval Pension record में गलत दर्ज हो गयी है। प्रार्थी की पत्नी की जन्म तिथि Naval Pension record में गलती से 07-11-1970 दर्ज हो गई है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसकी पत्नी की जन्म तिथि

17–11–1970 है व प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि Naval Pension record में गलती से अकेता वर्मा व 23–10–1992 दर्ज हो गई है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसकी पुत्री का नाम अकेता राजिन्द्र सिंह व जन्म तिथि 22–09–1992 है। अतः ई—राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी की जन्म तिथि 17–11–1970 है व प्रार्थी की पुत्री का सही नाम अकेता राजिन्द्र सिंह है व प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 22–09–1992 है। अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18–04–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02–04–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमप्र०।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हिमप्र०)**

केस नं० : 14-BT / 2024

दायर तिथि : 06–03–2024

श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री बुध राम, निवासी गांव नजां, डा० ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हिमप्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री बुध राम, निवासी गांव नजां, डा० ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हिमप्र०) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 08–12–1976 को स्थान गांव नजां, डा० ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हिमप्र०) में हुआ है परन्तु प्रार्थिया के माता—पिता व परिवार के अन्य सदस्य उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हिमप्र०) के अभिलेख में दर्ज न कर सके।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री बुध राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19–04–2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19–03–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हिमप्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 13-BT / 2024

दायर तिथि : 05-02-2024

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव अप्पर कलैहली, डा० बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला
कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव अप्पर कलैहली, डा० बजौरा, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र का जन्म
दिनांक 08-06-2008 को स्थान गांव अप्पर कलैहली, डा० बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में
हुआ है परन्तु वह अपने पुत्र के जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत कलैहली, तहसील
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
निलेश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक
19-04-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना
एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि
दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 15-BT / 2024

दायर तिथि : 06-03-2023

श्री गुलजार पुत्र श्री बशीर, निवासी गांव व डा० जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुलजार पुत्र श्री बशीर, निवासी गांव व डा० जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा
इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 15-12-2020

को स्थान गांव व डाठो जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) में हुआ है परन्तु वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सानिया पुत्री श्री गुलजार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-04-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि०प्र०)

केस नं० : 17-CENT/2023

दायर तिथि : 24-03-2023

श्री सौजू राम, पुत्र स्व० श्री गोसा पुत्र दमडु, निवासी गांव व डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री सौजू राम, पुत्र स्व० श्री गोसा पुत्र दमडु, निवासी गांव व डाकघर भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) द्वारा दिनांक 24-03-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनकी वाक्या फाटी व कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) के राजस्व रिकार्ड में जाति अन्य दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज है जबकि प्रार्थी की नकल शजरा नस्ब वर्ष 2010 गांव दसेहड़ा, तहसील रिवालसर, जिला मण्डी के अनुसार जाति चमार उप-जाति सन्धू दर्ज कागजात माल है। नकल शजरा नस्ब फाटी खोखन के अनुसार प्रार्थी की अन्य जाति दर्ज है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दुरुस्त करके चमार दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

केस नं0 : 16-BT / 2024

दायर तिथि : 06–03–2024

श्री रहमत अली पुत्र श्री लाल दिन, निवासी गांव व डा० जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रहमत अली पुत्र श्री लाल दिन, निवासी गांव व डा० जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 08–11–1983 को स्थान गांव व डा० जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थी के माता—पिता व परिवार के अन्य सदस्य उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सके।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रहमत अली पुत्र श्री लाल दिन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19–04–2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

केस नं0 : 17-BT / 2024

दायर तिथि : 22–11–2024

श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी गांव भूर्झन, डा० भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी गांव भूईन, डाठो भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 09—10—1955 को स्थान गांव भूईन, डाठो भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थिया के माता—पिता व परिवार के अन्य सदस्य उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भूईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सके।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री मोहर सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19—04—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19—03—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

केस नं० : 04—BT / 2024

दायर तिथि : 02—01—2024

कुमारी सपना पुत्री श्री नर सिंह, निवासी गांव हुंगरीधार, डाठो दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी सपना पुत्री श्री नर सिंह, निवासी गांव हुंगरीधार, डाठो दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 08—09—2005 को स्थान गांव हुंगरीधार, डाठो दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थिया के माता—पिता ने उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुमारी सपना पुत्री श्री नर सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19—04—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना

एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुत्तर, जिला कुल्लू (हिंप्र०)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage officer, Manali,
District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Mohammad Shakil age 23 years s/o Mohammad Shalim, r/o Veer Bahadur Nagar, Ward No. 24, Nagar Palika Parishad, Maharajganj, P.O. Maharajganj, Distt. Maharajganj, Uttar Pradesh-273 303 (at present residing Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) Adhar No. 3524 0769 3571.

And

Juli Jaisawal age 21 years d/o Sh. Chhotelal Jaisawal, r/o Viraicha, Bhuvni, Bhuani, Maharajganj, Biraicha, Uttar Pradesh-273 151 (at present residing Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) Adhar No. 6506 7478 4058.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mohammad Shakil age 23 years s/o Mohammad Shalim, r/o Veer Bahadur Nagar, Ward No. 24, Nagar Palika Parishad, Maharajganj, P.O. Maharajganj, Distt. Maharajganj, Uttar Pradesh-273 303 (at present residing Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Juli Jaisawal age 21 years d/o Sh. Chhotelal Jaisawal, r/o Viraicha, Bhuvni, Bhuani, Maharajganj, Biraicha, Uttar Pradesh-273 151 (at present residing Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on 18-03-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-04-2024 at to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 21st day of March, 2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Manali, District Kullu (H.P.).*

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Gopal aged 29 years s/o Sh. Bhim Bahadur, c/o Lal Chand Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175 131 (DOB 15-12-1994) Adhar No. 8945 4504 3852.

And

Lakpa Dolma aged 20 years d/o Sh. Tashi, r/o V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 30-03-2003) Adhar No. 9549 2646 6274.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Gopal aged 29 years s/o Sh. Bhim Bahadur, c/o Lal Chand Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175 131 (DOB 15-12-1994) Adhar No. 8945 4504 3852 and Lakpa Dolma aged 20 years d/o Sh. Tashi, r/o V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 30-03-2003) Adhar No. 9549 2646 6274 have presented an application on 18-03-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-04-2024 at 2-00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 18th day of March, 2024.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Ajay aged 27 years s/o Sh. Hari Chand, r/o V. P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175 131 (DOB 20-08-1996) Adhar No. 8907 3105 6040.

And

Maan Kumari d/o Sh. Chaturman, r/o Village Jatehar Bihal, P.O. Katrain, Tehsil & District Kullu (H.P.)175129 (DOB 02-04-1995) Adhar No. 4040 6905 5047.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Ajay aged 27 years s/o Sh. Hari Chand, r/o V. P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)-175 131 (DOB 20-08-1996) Adhar No. 8907 3105 6040 and Maan Kumari d/o Sh. Chaturman, r/o Village Jatehar Bihal, P.O. Katrain, Tehsil & District Kullu (H.P.)-175129 (DOB 02-04-1995) Adhar No. 4040 6905 5047 have presented an application on 18-03-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of marriage can appear in this court on 19-04-2024 at 2-00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 21st day of March, 2024.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हिंगे प्र०)

श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव खोपनी, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव खोपनी, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनके पति स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 13-08-1998 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत गोजरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र गुरदास की मृत्यु तिथि 13-08-1998 है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को स्व० श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र गुरदास की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त किसी का कोई भी

उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर पंचायत गोरजा के जन्म तथा मृत्यु अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Surender Kumar

. . . Applicant.

Vs.

General Public

. . . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Sh. Surender Kumar s/o Sh. Tave Ram, r/o Village Dhanair, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of himself Sh. Surender Kumar s/o Sh. Tave Ram born on 01-07-1976, has not been entered in the record of Gram Panchayat Deuthi.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Sh. Surender Kumar s/o Sh. Tave Ram born on 01-07-1976, in the Panchayat record of Gram Panchayat Deuthi, he/she/they may file his/her/their objection on or before 22-04-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 22nd day of March, 2024.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)

मिसल न0 : 05 / 2024

दिनांक मरजुआ : 14-03-2024

तारीख पेशी : 22-04-2024

उनवान मुकद्दमा इन्द्राज सेहत नाम

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री अम्मी चन्द, निवासी गांव थलीन, डाकघर तान्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

प्रार्थना—पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री अम्मी चन्द, निवासी गांव थलीन, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जोगिन्दर चन्द पुत्र अम्मी चन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम जोगिन्दर सिंह है। पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान पत्र में जोगिन्दर सिंह दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जोगिन्दर चन्द पुत्र स्व0 श्री अम्मी चन्द के स्थान पर जोगिन्दर सिंह पुत्र अम्मी चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में जोगिन्दर चन्द के स्थान पर जोगिन्दर सिंह दुरुस्त करने वारा कोई उजर/एतराज हो तो वे इस असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22—04—2024 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बस्तूत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)

मिसल न0 : 06 / 2024

दिनांक मरजुआ : 18—03—2024

तारीख पेशी : 22—04—2024

उनवान मुकद्दमा ईन्द्राज सेहत नाम

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी गांव डवारच, डाकघर दुराह, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

प्रार्थना—पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी गांव डवारच, डाकघर दुराह, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में कृष्ण पुत्र परमा नन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम कृष्ण लाल है। पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड,

बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में कृष्ण लाल दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में कृष्ण पुत्र परमा नन्द के स्थान पर कृष्ण लाल पुत्र परमा नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में कृष्ण के स्थान पर कृष्ण लाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वे इस असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील निथर, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

श्रीमती कान्ता पुत्री स्वर्गीय श्री खीमू राम हाल पत्नी श्री श्याम चन्द, निवासी गांव मालीपत्थर, डाकघर रायसन, तहसील कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कान्ता पुत्री स्वर्गीय श्री खीमू राम हाल पत्नी श्री श्याम चन्द, निवासी गांव मालीपत्थर, डाकघर रायसन, तहसील कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 15-08-1976 को ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुप्लब्धता प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू हल्फिया व्यान, परिवार नकल, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शलीण व गवाहान के लिखित व्यान से पाया गया कि श्रीमती कान्ता पुत्री स्वर्गीय श्री खीमू राम हाल पत्नी श्री श्याम चन्द की जन्म तिथि 15-08-1976 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती कान्ता पुत्री स्वर्गीय श्री खीमू राम हाल पत्नी श्री श्याम चन्द निवासी गांव मालीपत्थर, डाकघर रायसन, तहसील कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री साधू राम, निवासी हाऊस नं० 162, भजोगी, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री साधू राम, निवासी हाऊस नं० 162, भजोगी, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री शिवानी दिशावर की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 11-07-2007 को हुआ है। परन्तु नगर परिषद् मनाली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर परिषद् मनाली व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि शिवानी दिशावर पुत्री श्री ओम प्रकाश की जन्म तिथि 11-07-2007 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवानी दिशावर पुत्री ओम प्रकाश की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद् मनाली के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 95 / 2022

तारीख मरजुआ : 7-07-2022

तारीख पेशी : 23-04-2024

श्री चन्दन पुत्र श्री केशव राम, निवासी गांव बर्लैला, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थी।

બનામ

शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 45. श्री कुलवन्त सिंह पुत्र केशब राम निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 46. श्री साहिल पुत्र कृष्ण चन्द, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 47. श्री मनोहर सिंह पुत्र जय राम, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 48. श्री घनश्याम पुत्र जय राम, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 49. श्री बाल कृष्ण पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 50. श्री प्रताप सिंह पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 51. खेम राज पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 52. श्री मदन लाल पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 53. श्री संजीव कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 54. श्री जगदीश पुत्र धर्म दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 55. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री धर्म दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 56. श्रीमती शारदा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 57. श्रीमती विद्या देवी पत्नी लच्छमी सिंह, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 58. श्री रूप सिंह पुत्र श्री मोतिया, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 59. श्रीमती फुलू पुत्री मोतिया, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 60. श्रीमती दसोदा पुत्री मोतिया, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 61. श्री पंकज पुत्र उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 62. कुमारी शारदा पुत्री उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 63. कुमारी रचना पुत्री उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रत्नपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 8/16, कित्ता 12, रकबा तादादी 00—08—25 है०, मोहाल/मौजा कण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

श्री चन्दन पुत्र श्री केशव राम, निवासी गांव बर्लैला, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 8/16. कित्ता 12, रकबा तादादी 00—08—25 है०, मोहाल/मौजा कण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 63 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 23—04—2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि०प्र०)

श्री चन्दन पुत्र श्री केशव राम, निवासी गांव बर्लैला, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थी।

બનામ

निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 45. श्रीमती सुनीता पुत्री सोम दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 46. श्री कुलवन्त सिंह पुत्र केशब राम निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 47. श्री साहिल पुत्र कृष्ण चन्द, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 48. श्री मनोहर सिंह पुत्र जय राम, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 49. श्री घनश्याम पुत्र जय राम, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 50. श्री बाल कृष्ण पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 51. श्री प्रताप सिंह पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 52. खेम राज पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 53. श्री मदन लाल पुत्र जमना दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 54. श्री संजीव कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 55. श्री जगदीश पुत्र धर्म दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 56. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री धर्म दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 57. श्रीमती शारदा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 58. श्रीमती विद्या देवी पत्नी लच्छमी सिंह, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 59. श्री रूप सिंह पुत्र श्री मोतिया, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 60. श्रीमती फुलू पुत्री मोतिया, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 61. श्रीमती दसोदा पुत्री मोतिया, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 62. श्री पंकज पुत्र उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 63. कुमारी शारदा पुत्री उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 64. कुमारी रचना पुत्री उत्तम सिंह, निवासी गुम्मा रतनपुर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 14/15, रकबा तादादी 01-09-91 है०, मोहाल/मौजा शोहावल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्री चन्दन पुत्र श्री केशव राम, निवासी गांव बर्केला, डाकघर मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 14/15, रकबा तादादी 01-09-91 है०, मोहाल/मौजा शोहावल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 63 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 23-04-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी ग्राम बथालंग, तहसील अर्को, जिला सोलन, हि. प्र.
प्रार्थिया।

ବନ୍ଦାମ

शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 45. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री हेतु राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 46. श्री दीप राम पुत्र मेद राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 47. श्री सतीश कुमार पुत्र रूप राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 48. श्री हरीश कुमार पुत्र रूप राम, निवासी निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 49. श्रीमती मंजू देवी पुत्री रूप राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 50. श्रीमती अंजू पुत्री रूप राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 51. श्रीमती कमला देवी पत्नी रूप राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 52. श्री मोहन सिंह पुत्र रती राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 53. श्री गौरी शंकर पुत्र मनसा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 54. श्री श्याम लाल पुत्र मनसा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 55. श्री जिया लाल पुत्र मनसा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 56. श्री रूप राम पुत्र मनसा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 57. श्री गंगा राम पुत्र मनसा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 58. श्री जय राम पुत्र मेहर सिंह, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 59. श्री धनी राम पुत्र श्री बीजा राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 60. श्रीमती शकुन्तला पत्नी हिरा सिंह, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 61. श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 62. श्री संतोष राज पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 63. श्री कमल किशोर पुत्र नरपत राम, निवासी मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 19/78 ता कित्ता 66, रकबा तादादी 06—36—53 है०, मोहाल/मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी ग्राम बथालंग, तहसील अर्का, जिला सोलन, हि. प्र. ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 19/78, ता कित्ता 66, रकबा तादादी 06—36—53 है०, मोहाल/मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के जायज वारसान व प्रतिवादी नं. 14, 15, 16 ता 22, 30 ता 60 व 62, 63 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 19—04—2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि०प्र०)

श्री राम लाल पुत्र श्री रतिया राम, निवासी ग्राम बामठी, डा. टिकरी, तहसील नेरवा, जिला शिमला,
हि. प्र. प्रार्थी।

बनाम

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 181/234 ता 278, कित्ता 121, रकबा तादादी 00-91-83 है०, उप—महाल/मौजा कुफटाधार, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

श्री राम लाल पुत्र श्री रतिया राम, निवासी ग्राम बामठी, डा. टिकरी, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हि. प्र. ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 181/234 ता 278, कित्ता 121, रकबा तादादी 00-91-83 है०, उप—महाल/मौजा कुफटाधार, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ता 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ता 25 व 28 ता 39 की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ता 25 व 28 ता 39 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 24-05-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSC Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

**समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि०प्र०)**

मुकदमा संख्या : 56 / 2020

तारीख मरजुआ : 22-08-2020

तारीख पेशी : 07-05-2024

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री कन्हैया, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र. मारफत मुख्यारनामा आम श्री राजीव कुमार प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री शीश राम पुत्र शक बहादुर, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 2. श्री अमर लाल पुत्र सुन्दर दास, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 3. श्री रणजी सिंह पुत्र फुल्मू राम, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 4. श्री सतान चन्द पुत्र शुकरू, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 5. श्री भोरू राम पुत्र रिखू, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 6 श्री होशियार सिंह पुत्र सन्त राम, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 7. श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री सनम, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र., 8. श्री तुलसी राम पुत्र सुदामा, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र.

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 178/208, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-03-32 है०, मोहर/मौजा संकट मोचन, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री कन्हैया, निवासी गांव आंजी, डा. तारादेवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि. प्र. मारफत मुख्यारनामा आम श्री राजीव कुमार ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 178/208, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-03-32 है, मोहाल/मौजा संकट मोचन, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं. 2 ता 5 व 8 की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं. 2 ता 5 व 8 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 07-05-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Sh. Bhanu Gupta, H.P.A.S, Special Marriage Officer-cum-Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Mr. Ritesh Ferairam Gupta aged about 30 years s/o Sh. Ferairam Baledin Gupta, r/o B/507, Ganesh Darshan, Sarvoday Paradise Mira Bhayander Road, Behind Balaji Hospital Bhayander East, Bhayander East Thane, Maharashtra-401 105.

2. Ms. Lakshita Taneja aged about 29 years d/o Sh. Vivek Taneja, r/o Belle View Building, Upper Kaithu, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Ritesh Ferairam Gupta aged about 30 years s/o Sh. Ferairam Baledin Gupta, r/o B/507, Ganesh Darshan, Sarvoday Paradise Mira Bhayander Road, Behind Balaji Hospital Bhayander East, Bhayander East Thane, Maharashtra-401 105 and Ms. Lakshita Taneja aged about 29 years d/o Sh. Vivek Taneja, r/o Belle View Building, Upper Kaithu, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 11-03-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections

personally or in writing before the court of undersigned on or before 11-04-2024, after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 12th March, 2024.

Seal.

Sd/-
(BHANU GUPTA), H.P.A.S,
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री परमेश कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी गांव क्वालटा, डाकघर गिल्टाडी, उप-तहसील सरस्वती
नगर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम 1969 जेरे धारा 13(2/3) जन्म/मृत्यु दर्ज कराने बारे।

श्री परमेश कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी गांव क्वालटा, डाकघर गिल्टाडी, उप-तहसील सरस्वती
नगर, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका बेटा जिसका नाम अग्रिम नेगी
है का जन्म ग्राम क्वालटा, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि०प्र०) में 14-02-2009 को हुआ है
जो अज्ञानतावश/घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं
पाया गया। अतः आवेदक अब ग्राम पंचायत गिल्टाडी के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना
चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या
आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2024 तक प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के
कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार
कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सरस्वतीनगर,
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Kartik s/o Sh. Deepak, r/o Village Chatra, P.O. Maindrath, Tehsil Tiuni, District Dehradun, Uttrakhand Pin Code 248 199 age 25 years.
2. Vinta d/o Sh. Puran Mal, r/o Village Parsa, P.O. Lowerkoti, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)-Pin Code 171 207 age 19 years . . . Applicants.

Versus

General Public

. . . Respondents.

Subject.— Proclamation for the intended of Marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Kartik s/o Sh. Deepak, r/o Village Chatra, P.O. Maindrath, Tehsil Tiuni, District Dehradun, Uttrakhand Pin Code 248 199 age 25 years and Vinta d/o Sh. Puran Mal, r/o Village Parsa, P.O. Lowerkoti, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)-Pin Code 171 207 age 19 years have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned for intended marriage under Section 5 of Special Marriage Act,1954 and have applied for registration of their marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this intended marriage can file the objections personally or through their authorized agent/Advocates in writing before this court on or before 20-04-2024. The objection received after 20-04-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 20th day of March, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हिं0प्र0)

मुकदमा नं० : 7 / 2024

तारीख रजुआ : 19—03—2024

Sh. Kunji Ram s/o Sh. Sahoojha, r/o Village Cheeing, P.O. Anti, Sub-Tehsil Saraswati Nagar Distt. Shimla (H.P.).

बनाम

- (1) आम जनता।
- (2) लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अन्टी।

विषय.—प्रार्थी की बहन के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अन्टी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Kunji Ram s/o Sh. Sahoojha ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला शिमला के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी बहन Late Ms. Baghpatti d/o Sh. Sahoojha जिनकी मृत्यु दिनांक 04-05-1980 को गांव चींग में हुई है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत चींग, डा० अन्टी, उप—तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Kunji Ram s/o Sh. Sahoojha की बहन Ms. Baghpatti d/o Sh. Sahoojha जिनकी मृत्यु दिनांक 04-05-1980 को हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत अन्टी के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-04-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की बहन का मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Chandni Singh *alias* Chandri d/o Sh. Kali Dass, Village Tanseri, P.O. Shingla, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh at present w/o Sh. Gurpreet Singh #1388, Vikas Nagar, Mauli Jagran, Chandigarh, Pin No. 160 102 . . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant have preferred an application before me regarding registration of her name and date of birth as Chandni Singh *alias* Chandri date of birth 08-03-1995 in the Birth and Death Register at Gram Panchayat Shingla, Development Block Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter her name and date of birth mentioned above they should appear before the undersigned on or before 21-04-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 22nd day of March, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

1. Ritika Kindo d/o Sh. Injan Lal Kindo, r/o House No. 6, Gadavhiri Patel Para Ulkiya Surguja Chhatisgarh-497 114 at present r/o Ward No. 9, Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Anuranjan Kindo d/o Sh. Injan Lal Kindo (D.O.B. 30-07-2013), r/o House No. 6, Gadavhiri Patel Para Ulkiya Surguja Chhatisgarh-497 114 at present r/o Ward No. 9, Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

Through her Mother

Smt. Tulsi Kindo w/o Injan Lal Kindo (D.O.B. 26-11-2012), r/o House No. 6, Gadavhiri Patel Para Ulkiya Surguja Chhatisgarh-497 114 at present r/o Ward No. 9, Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh . . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant have preferred an application before me regarding registration of her daughter and son name and date of birth as Ritika Kindo d/o Sh. Injan Lal Kindo (D.O.B. 26-11-2012) and Anuranjan Kindo d/o Sh. Injan Lal Kindo (D.O.B. 30-07-2013) in the Birth and Death Register at Municipal Council Rampur Bushahr, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter their name and date of birth mentioned above they should appear

before the undersigned on or before 21-04-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 22nd day of March, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

समक्ष श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 17 / 2021

तारीख दायर : 04—06—2021

1. श्री विनोद कुमार पुत्र मंगल चन्द, गांव व डा० रोधी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०) प्रतिवादी।

विनोद कुमार

बनाम

कमला आदि

1. श्रीमती कमला पुत्री डोडलू गांव कोछडी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०),
2. श्री दिलमी राम पुत्र बालकू गांव व डा० गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०),
3. श्रीमती गंगचुक लामो पत्नी गनेश सिंह, गांव मुरांग, डा० रिब्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०),
4. श्रीमती सरजन देवी पत्नी बाद्री रत्न, गांव व डा० बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०),
5. श्रीमती ज्ञान पति पत्नी श्री बिरबल, गांव शिल, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 6. श्री टिककम सिंह पुत्र श्री रवि चन्द, गांव व डा० निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 7. श्री सनम लाल पुत्र इन्द्र सैन, गांव व डा० बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 8. फलवती पुत्री हरि दास, गांव व डा० चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 9. श्री सुशील पुत्र बदरी रत्न, गांव व डा० बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 10. श्री मुकेश चन्द पुत्र नवांग छोपेल, गांव व डा० ठांगी, तहसील मोरांग, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 11. कमला नन्द पुत्र धर्म राम, गांव व डा० बवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 12. श्री मोहन सिंह पुत्र मनहोर लाल, गांव व डा० रांची, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 13. श्री यदीप सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 14. श्री राज दिप पुत्र ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 15. सनेश प्रभा पुत्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 16. श्रीमती बसन्त प्रभा पुत्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 17. श्रीमती ओम प्रभा पुत्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 18. श्रीमती किरन प्रभा पुत्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 19. श्रीमती पदम देवी पत्नी श्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 20. श्री केशव राम पुत्र गया नन्द, गांव कोछडी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 21. श्रीमती बुद्धि देवी पुत्री थुम्बी राम, गांव रीब्बा, तहसील मोरांग, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 22. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान दास, गांव कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 23. श्रीमती कमला देवी पत्नी छेरिंग, गांव व डा० रक्षम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 24. सनेह प्रभा पुत्री ठाकुर सिंह, गांव व डा० किलबा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 25. श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री राम चन्द, गांव

कोछडी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 26. श्री सिद्धार्थ शांकर, पुत्र श्री बिरबल, गांव व बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०), 27. श्री फुला सिंह पुत्र भहादुर सिंह, गांव नन्ती, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि०प्र० भ० ३० अ० बाबत अराजी खाता/खतौनी नं० १९१/४३५, ता ४५५, कित्ते १९, रकबा तादादी ०१-२०-४१ है०, चक त्यावल, उप-तहसील सराहन बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

नोटिस बजरीया इश्तहार बनाम पगतिवादी:

प्रार्थिया श्रीमती बिमला पुत्री कान्दू गांव सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) ने अराजी खाता/खतौनी नं० १९१/४३५, ता ४५५, कित्ते १९, रकबा तादादी ०१-२०-४१ है०, चक त्यावल, उप-तहसील सराहन बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) ने दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। जिसमें उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से न होनी पाई जा रही है, अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होगा।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 23-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सराहन बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री ठाकुर मोहन सिंह पुत्र श्री गोवर्धन दास, गांव कुरगू डा० शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० ४/६, ता १४, कित्ता ५४, रकबा तादादी ०४-५४-११ है०, महाल कुरगू उप-तहसील सराहन बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री ठाकुर मोहन सिंह पुत्र श्री गोवर्धन दास, गांव कुरगू डा० शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक आधार कार्ड आदि के प्रार्थी अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अराजी खाता/खतौनी नं० ४/६, ता १४, कित्ता ५४, रकबा तादादी ०४-५४-११ है०, महाल कुरगू उप-तहसील सराहन बुशैहर, जिला

शिमला (हि०प्र०) के खाना मालिक में मोहन लाल दर्ज किया गया है। प्रार्थी अपना नाम मोहन लल के बजाये ठाकुर मोहन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में ठाकुर मोहन सिंह उर्फ मोहन लाल दुरुस्त दर्ज करने वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी ग्राम मखरालडी, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी ग्राम मखरालडी, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है:-

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	रिजुल मखरान	पुत्र	11-06-2006

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 21-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
(विनोद कुमार)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 10 / 2021

तारीख मरजुआ : 14-01-2021

तारीख पेशी : 07-05-2022

श्रीमती बर्फी देवी पत्नी स्व0 श्री हरी दास, निवासी सेंट मर्की बैप्टिस्ट चर्च बिल्डिंग, बिलो कालीबारी मन्दिर, शिमला मारफत मुख्यार खास श्री बसंत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी दास प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री मस्त राम पुत्र श्री चौधरी, निवासी गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री चौधरी, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्री संजय पुत्र श्री चरन दास, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती हेमा पुत्री श्री चरन दास, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती शीला पत्नी श्री चरन दास, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्री केशव राम पुत्र श्री सागर दास, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 7. दीपक कुमार पुत्र श्री यशवंत सिंह, गांव / मोहाल गुडशाली, पटवार वृत्त टुट्टू, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0) स्थाई निवासी गांव बदोही, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू—विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 59 / 161, खसरा नं0 324, रकबा तादादी 00-25-19 है0, वाका मौजा गुडशाली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्रीमती बर्फी देवी पत्नी स्व0 श्री हरी दास, निवासी सेंट मर्की बैप्टिस्ट चर्च बिल्डिंग, बिलो कालीबारी मन्दिर, शिमला मारफत मुख्यार खास श्री बसंत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी दास ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू—विभाजन हेतु अराजी खाता / खतौनी नं0 59 / 161, खसरा नं0 324, रकबा तादादी 00-25-19 है0, वाका मौजा गुडशाली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मौका तकसीम अमल में लाई जा चुकी है।

अतः प्रतिवादी नं0 1, 2, 3, 4, 5, 7 को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे स्वयं व उनके जायज वारसानों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 07-05-2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 11 / 2023

तारीख मरजुआ : 03-03-2023

तारीख पेशी : 23-04-2024

श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री तेग बहादुर सिंह, निवासी जय श्री राम निवास, नियर पम्म हाउस बघली, तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव/मोहाल बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंसी राम, निवासी गांव/मोहाल बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 3. श्रीमती दयावंती पत्नी श्री भागनचन्द, निवासी गांव/मोहाल बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 4. श्री विजय कुमार पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव/मोहाल बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 5. हरी राम पुत्र श्री निहाल दास, निवासी गांव/मोहाल बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 6. श्री अश्वनी पुत्री श्री राम दास, निवासी अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 53/227, खसरा नं० 1752, 1753, 1754, 1760, 1761, 1762, माहाल/मौजा बघली, रकबा तादादी 00—08—90 है०, मोहाल/मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री तेग बहादुर सिंह, निवासी जय श्री राम निवास, नियर पम्म हाउस बघली, तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 53/227, खसरा नं० 1752, 1753, 1754, 1760, 1761, 1762, माहाल/मौजा बघली, रकबा तादादी 00—08—90 है०, मोहाल/मौजा बघली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगणों की तामिल साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 6 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे किसी को भी कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 23—04—2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSC Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा व अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 115/2022

तारीख मरजुआ : 23—12—2023

तारीख पेशी : 30—04—2024

कुमारी रीना देवी पुत्री श्री निरमा राम, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

1. श्रीमती तारा पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 3. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 4. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलदेव कुमार, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 5. श्री हिरा लाल पुत्र श्री योगेश्वर दत, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 6. श्रीमती सावित्री पत्नी श्री योगेश्वर दत, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 7. श्री गौरव पुत्र श्री हिमेश, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 8. नेहा पुत्री श्री हिमेश, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 9. श्रीमती आशा पत्नी श्री हिमेश, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 10. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 11. श्री मान सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 12. हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री संगत राम, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 13. सन्दीप कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 14. श्री परमा नन्द पुत्र श्री शंकर, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) . . . प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 17मिन/19मिन, कित्ता 22, रकबा तादादी 04—09—85 है०, मोहाल/मौजा चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

कुमारी रीना देवी पुत्री श्री निरमा राम, निवासी गांव/मोहाल चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 17मिन/19मिन, कित्ता 22, रकबा तादादी 04—09—85 है०, मोहाल/मौजा चडोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ता 14 की तामिल साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं० 1 ता 14 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे किसी को भी कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30—04—2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)

1. Mr. Bhavesh Kakkar aged about 37 years s/o Sh. Prem Kakkar, r/o Shiv Cottage, Ruldhu Bhatta Subhash Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh .

2. Ms. Priyanka Mehta aged 42 years d/o Sh. Vijay Mehta, B-350, New Friends Colony, P.O. New Friends Colony, District South Delhi.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the Notice to intend marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Bhavesh Kakkar aged about 37 years s/o Sh. Prem Kakkar, r/o Shiv Cottage, Ruldhu Bhatta Subhash Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Ms. Priyanka Mehta aged 42 years d/o Sh. Vijay Mehta, B-350, New Friends Colony, P.O. New Friends Colony, District South Delhi have filed an application and affidavits in the court of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 on 06th April, 2024 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or 5th May 2024 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06th April, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

BHANU GUPTA (H.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 19—04—2024

सन्तोष कुमार पुत्र सीमा देवी पुत्री जीणो देवी पत्नी स्व० श्री टेक चन्द पुत्र सुंकू निवासियान महाल
नगेहड, पटवार सर्कल सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) . प्रार्थी।

1. संजय सरोत्री पुत्र, 2. सुमन, 3. डोली पुत्रियां, 4. शान्ति पत्नी स्व० श्री गोपाल कृष्ण, वरुण सरोत्री,
5. विशाल सरोत्री, पुत्रान सुभाष चन्द, 6. सुरिन्द्र कुमार पुत्र, 7. पुष्पा पुत्री श्रुति प्रकाश, 8. प्राण नाथ,
9. तिलक राज पुत्रान लखू राम, राजीव कुमार पुत्र प्रद्युमन, 10. योगिन्द्र सरोत्री पुत्र तरलोक नाथ निवासियान
महाल गरला देइ, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) . प्रतिवादिगण।

विषय.—हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 21, खतौनी नं० 53,
खसरा नं० 176—177—178, रकबा तादादी 00—13—58 है० स्थित महाल झंगेहड, उप-तहसील
सुलह, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

मुस्त्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार

प्रार्थीगण सन्तोष कुमार पुत्र सीमा देवी पुत्री जीणो देवी पत्नी स्व० श्री टेक चन्द पुत्र सुंकू निवासियान
महाल नगेहड, पटवार सर्कल सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया

हैं जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने सही पता प्राप्त होने वारे अपनी असमर्थता जताई है।

अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्तवर्णित प्रतिवादी को इस मुस्त्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-04-2024 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करे अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-03-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हिं0प्र0)।